E: ISSN NO.: 2349-980X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

महिला कैदियों की स्थिति एवं संवैधानिक प्रावधान

दीपिका शर्मा
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय,
अलवर,राजस्थान, भारत

सारांश

''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवताः'' मनुस्मृति में वर्णित इस श्लोक में नारी की पूजनीय स्थिति को ही देवताओं के निवास का आधार माना गया है। इस श्लोक की सिद्धता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि 'महिला' शब्द स्वयं ही पूजनीय है। जो मह+इल+आ से मिलकर बना है जिसमें 'मह' का शब्द अर्थ ही श्रेष्ठ व पूज्य है। परन्तु नारी की देवी स्वरूपा छवि के दर्शन मात्र शास्त्रों तक ही सीमित हो गए है। यथार्थ में महिला की प्रस्थिति व भूमिका को गौण कर दिया गया है। एक महिला को समाज एवं परिवार का आधार होते हुए भी वह स्थान नहीं मिल पाया है जो उसके धैर्य, त्याग व समर्पण आदि गुणों के आधार पर उसे मिलना चाहिए। वे महिलाएँ जो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन करने पर भी सभ्य समाज में शोषण का शिकार हो रही है तो महिलाओं का ऐसा वर्ग जो दमन एवं तनावग्रस्त परिस्थिति से तंग आकर, आवश्यकता की पूर्ति अथवा अन्य किसी कारण से अपराध करता है। जिन्हें दण्ड स्वरूप कारागृह में भेजा जाता है। 'महिला कैदी' के रूप में किस परिस्थिति में होगा।

प्रायः महिला कैदियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है। महिला कैदी मानवाधिकार जैसी अवधारणा से अनभिज्ञ है। उनके व उनके बच्चों से सम्बन्धित बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के अधिकारों से अपरिचित है। वे किसी न किसी प्रकार से शारीरिक व यौनात्मक हिंसा की शिकार भी हैं। अधिकांश महिलाएँ जेलों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या जिसमें टेरोमेटिक स्ट्रेस डिस्ऑर्डर, डिप्रेशन, स्वयं को हानि पहुँचाना जैसी मानसिक बीमारियो की शिकार हैं जो जेल में बन्द पुरुष कैदियों की तुलना में महिला कैदियों में अधिक है। भारतीय जेलों में बन्द अधिकांश महिला अशिक्षित है जो जमानत के बुनियादी प्रावधानों को भी नहीं जानती है। महिला कैदी कारावास को एक अमिट कलंक के रूप में मानकर निराशावादी जीवन जी रही है। क्योंकि कारावास से मुक्त होने पर भी परिवार व समाज द्वारा उन्हें नकार दिया जाता है। यदि महिला से सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि अधिकारों का पालन किया जाए तो महिला अपराध में कमी आ सकती है। इसलिए महिला कैदियों से सम्बन्धित जेल प्रावधानों में सुधार एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

मुख्य शब्द : प्रस्थिति, अवधारणा, अभावग्रस्त, पृष्ठभूमि, संक्रमण अपराधपूर्व, प्रवृति, परिवेश, मूलभूत आवश्यकता, जमानत।

प्रस्तावना

सम्पूर्ण धरातल के मानस पटल पर नारी को सदैव देवतुल्य माना गया है। नारी द्वारा भी इस तथ्य को प्रत्येक काल में प्रमाणित किया गया है। ''गार्गी–याज्ञवल्क्य संवाद'' इसका अविस्मरणीय उदाहरण है। वेद, पुराणों में भी महिलाओं की श्रेष्ठता का अनेक बार महिमा मंडन किया गया है। ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव को माना गया है जिसमें स्त्री का स्थान सर्वप्रथम है। लेकिन महिला परिवार की जीवनधारा होते हुए भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु आश्रित है। पितृसत्तात्मक अवस्था से लेकर आधुनिक युग में भी महिलाओं की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं उसके अधिकारों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। महिलाओं की पत्नी, पुत्री एवं माँ आदि भूमिका को समाज में स्वीकार तो किया जाता है। परन्तु इस भूमिका निर्वाहन में उनके अधिकार व मांगों को नजर अन्दाज कर दिया जाता है।

परिवार एवं समाज में महिलाओं को पुरूषाधीन मानने, सन्तानोत्पति का माध्यम जैसी नकारात्मक अवधारणा सदियो से प्रभाव में रहने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती रही है। महिलाओं द्वारा भी दमन एवं शोषण को भाग्य स्वरूप स्वीकारा गया जिसका परिणाम दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीडन जैसे अपराध महिलाओं के प्रति बढते गए।

समयानुसार महिलाओं द्वारा शोषण के विरूद्ध आवाज उठाई जाने लगी शोषण का विरोध किया जाने लगा। इसी के परिणाम स्वरूप ही 1946 में 'कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वूमन' का निर्माण किया गया। तथा 1975 में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने से सम्बंधित प्रावधान पारित किया।

भारत में भी महिला शोषण की रोकथाम के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधानों को पारित किया गया। मौलिक अधिकार अनुच्छेद–14, 19, 21, 39। तथा घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन–उत्पीडन (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, आदि अनेक संवैधानिक प्रावधान समय–समय पर लागू किये जाते है। इसके उपरान्त महिलाओं के प्रति अपराध के बढते आँकडे 338954 में केवल बलात्कार के ही 38947 मामले दर्ज हुए है। एक सर्वे के आधार पर यह पाया गया कि प्रत्येक आठ मिनट में एक महिला यौन अपराध जिसमे बलात्कार के बाद हत्या भी शामिल है का शिकार होती है।

इस भयावह परिस्थिति में विचारणीय बिन्दु यह है कि वे महिलाएँ जो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन करने पर भी सभ्य समाज में शोषण का शिकार हो रही है। तो महिलाओं का ऐसा वर्ग जो दमन एवं तनावग्रस्त परिस्थिति से तंग आकर, आवश्यकता की पूर्ति अथवा अन्य किसी कारण से अपराध करता है। जिन्हें दण्ड स्वरूप कारागृह में भेजा जाता है जिनकी पहचान महिला कैदी के रूप में होती है। महिला कैदी व उनके साथ रह रहे बच्चों को अनेक मानासिक व शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कारावास में अधिकांश महिला कैदियों का सम्बन्ध अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से है जो बुनियादी अधिकारों से अनभिज्ञ है जिसके परिणामस्वरूप मंजुला सेठी हत्याकाण्ड और कारावास में महिला कैदियों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती खबरें जेल व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न लगा रही है। और साथ ही मौलिक अधिकारों के हनन का चित्रण प्रस्तुत कर रही है।

उद्देश्य का उद्देश्य

इस विषय वस्तु ''महिला कैदियों की स्थिति एवं संवैधानिक प्रावधान'' को चयन करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विषय में उनके विभिन्न पहलुओं को जानने में रूचि होना है। महिला जिसे सहनशीलता का पर्याय तथा कमजोर वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता था उन महिलाओं द्वारा किसी अपराधिक कृत्य को करना स्वतः ही उनकी ओर ध्यान आकर्षित करता है। महिलाओं में बढती अपराधिक प्रवृति व भागीदारी समाज को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसलिए महिलाओं के इस विषय पर अध्ययन की आवश्यकता और भी अनिवार्य हो जाती है।

1. इस विषय वस्तु में शोध अध्ययन का उद्देश्य उन महिलाओं की अपराधपूर्व प्रवृति व परिवेश को जानना है जिस कारण उन्होने अपराध किया।
2. महिला कैदियों के सन्दर्भ में अध्ययन के दौरान उन्हें कारावास में होने वाली समस्याओं के बारे में जानना है केवल उनकी समस्याओं को जानने तक ही अध्ययन को सीमित नही करते हुए उन समस्याओं के कारणों का भी पता लगाना है।
3. महिला कैदियों के साथ कई बार उनके अबोध बालक (6 वर्ष तक) भी रहने को मजबूर होते है। उस परिस्थिति में महिला कैदियों व उनके बच्चों के सम्बंध में उनकी आवश्यकता व स्थिति को जानना है।
4. संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत महिला कैदियों के लिए समय–समय पर कई सुधारात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। उन कार्यक्रमों की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता का भी अध्ययन करना है।
5. महिला कैदियों एवं उनके बालकों के सकारात्मक विकास के लिए नीति निर्माण में शोध अध्ययन द्वारा योगदान देना है।
6. महिला कैदियों के व्यवहार एवं स्थिति के साथ–साथ कारागृह प्रशासन के व्यवहार का भी अध्ययन करना महत्त्वपूर्ण है।
7. वे महिलाएँ जो कारावास में बन्दी हैं उनके अध्ययन के साथ–साथ उन महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का भी अध्ययन करना है जो कारागृह से मुक्त हो गई हैं।
8. चयनित महिला कैदियों के सम्बंध में शोध अध्ययन कार्य केवल आँकडो के संकलन तक सीमित नही है अपितु अध्ययन के माध्यम से महिला कैदियों की स्थिति व उनके पुनर्वास हेतु एक सुधारात्मक प्रयास है।

साहित्यावलोकन

भारत में महिलाओं की सामान्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रायः प्रतिकूल अवधारणा का ही चित्रण होता है, इस स्थिति में महिला के बहिष्कृत प्रतीत होते वर्ग (महिला कैदी) के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना अकल्पनीय ही है। भारत में पुरुष अपराध की तुलना में महिला अपराध के आंकड़ों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जिस कारण अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, संवैधानिक प्रावधान, न्याय व्यवस्था एवं शोधार्थियों का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित हुआ।

विशेषतः भारत में महिला कैदियों के विषय में उनकी स्थिति, अधिकार, सुविधाएं एवं पुनःस्थापना से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानों को समय–समय पर लागू किया जाता रहा है। महिला कैदी व उनके बच्चों की जेल में स्थिति, अधिकार एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में अनेक पुस्तकों, लेख, पत्र, रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ है जिनकी साहित्य समीक्षा निम्नांकित रूप से प्रस्तुत है–

1. उच्चतम न्यायालय द्वारा महिला कैदियो के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए ''हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य (1980 एससी 81) वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन महिला कैदी को त्वरित विचारण का अधिकार प्राप्त होना चाहिए''। त्वरित विचारण की अवधारणा हमारे मौलिक अधिकारों में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से सम्बन्धित अनुच्छेद 21 के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करती है।
2. आर. डी. उपाध्याय बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (2001) वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया कि महिला कैदी के बच्चों के साथ इस तरह का

व्यवहार किया जाना चाहिए कि उन्हें अहसास ना हो कि वह जेल में है।

3. 'एशियन सेन्टर फॉर ह्यूमन राइट्स' के अनुसार महिला कैदियों का बलात्कार कारावास में यातनाओं का सर्वाधिक क्रूर स्वरूप है। 'नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन' के अनुसार 2006–2010 तक 39 मामलें महिला कैदियों से बलात्कार के दर्ज हुए है।
4. राजस्थान की पूर्व राज्यपाल ''श्रीमती माग्रेट अल्वा'' (2012) द्वारा कहा गया कि भारत महिलाओं की शक्ति व अधिकार के लिए जाना जाता है। परन्तु बहुत सी महिला कैदियों को उनके अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। अधिकांश महिला कैदी जमानत के प्रावधान से अनभिज्ञ है।
5. नेशनल रिफोर्म सेमिनार 2015 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जिसमें डॉ. उपनित लाली द्वारा इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिलाया गया कि कैदी अधिनियम 1894 अत्यन्त पुराना हो गया है। जो केवल कैदियों की सुरक्षा के प्रावधानों तक ही सीमित हैं न कि उनके पुनः स्थापना अथवा सुधारों से सम्बन्धित है।
6. आशा भण्डारी द्वारा एक सामाजिक लेख जिसका शीर्षक ''महिला कैदी व उनके बच्चों की सामाजिक, विधिक स्थिति एक अध्ययन राजस्थान केन्द्रीय कारागृह के सन्दर्भ में'' 2016 के अनुसार यह बताया गया कि महिला कैदियों के सम्बन्ध में कोई अलग से प्रावधान नहीं है, उन्हें उसी आधार पर ही सजा दी जाती है जो पुरुष अपराध में प्रस्तावित है। जबकि महिला अपराध के कारण पुरुष अपराध से भिन्न हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में आशा भण्डारी ने सुझाव दिया है कि यदि महिला से सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि अधिकारों का पालन किया जाए तो महिला अपराध में कमी आ सकती है। इसलिए महिला कैदियों से सम्बन्धित जेल प्रावधानों में सुधार किये जाने चाहिए।
7. 10 जुलाई 2017 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार एक महिला कैदी जिसका नाम ''मजूंला सेठी'' था, उम्र 38 वर्ष उच्च अधिकारी को जेल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत करने पर बेसूला जेल के जेलर द्वारा उसे निर्वस्त्र कर पीटा गया व उसके गुप्तागों में लकड़ी प्रविष्ट की गई। जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
8. 26 जुलाई, 2017 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित लेख जिसका शीर्षक 'टेल्स फ्रॉम फोर्मर इन्मेट्स : व्हाट लाइफ इज लाइक इन ए वूमेंस जेल इन इण्डिया' में बताया गया कि पीड़ित लॉ प्रोफेसर शामनी मोदी जिन्हें एम.पी. के हरदा जिले की जेल में रखा गया जिन्हें तीन सप्ताह पश्चात जमानत मिली। अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि ''यहाँ प्रायः आपको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि आपको यह एहसास हो जाए कि आप मनुष्य नहीं हैं और आप यह भी भूल जाते हैं कि आपके कोई अधिकार भी हैं।''
9. एम. लक्ष्मीकांत की पुस्तक 'भारतीय राजव्यवस्था' 2017 में अनुच्छेद 21 के संदर्भ में मेनका गाँधी बनाम भारत संघ का उल्लेख किया है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार हैं इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधन में नहीं बाँधा गया। बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है।
10. 20 जुलाई 2018 बैसूला जेल मुम्बई में 78 महिला कैदियों को जे.जे. अस्पताल में विषाक्त भोजन के कारण भर्ती कराया गया। उन महिलाओं के शारीरिक परीक्षण में पाया गया कि वे विषाक्त भोजन से ही पीड़ित नहीं है। अपितु उनके शरीर में संक्रमण भी पाया गया जो अस्वच्छता, अपर्याप्त व अपौष्टिक भोजन आदि के कारण हो सकता है।
11. किरण बेदी द्वारा संचालित एन.जी.ओ. ''इण्डियन विजन फाउण्डेशन'' जो भारतीय महिला कैदियों पर 15 वर्षों से कार्य कर रही है के अनुसार पिछले पन्द्रह वर्षों में महिला कैदियों की दर 61 प्रतिशत अधिक तेजी से बढ़ी हैं। जबकि पुरुष कैदी दर 33 प्रतिशत है परन्तु महिला कैदियों के सम्बन्ध में पूर्व में नियोजित आधार भूत संरचना बढ़ते हुए महिला कैदियों की संख्या के आगे स्थिर नहीं रह पाएगा।
12. उच्चत्तम न्यायालय की न्यायाधीश रजना पी. देसाई ने ''ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ वूमन लॉयर्स को सम्बोधित करते हुए कहां कि ''अपराधिक न्याय व्यवस्था महिला कैदियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने में असफल हो गई।''
13. न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा व आर. एस. चौहान ने सिविल याचिका में यह अभिनिर्धारित किया – कि कैदियों को विभिन्न जेलों से अन्यत्र दूर स्थित जेलों में स्थानान्तरित किया जाना, जहां कैदियों के रिश्तेदारों, परिवारजनों आदि का सम्पर्क करना अथवा मिलना दुर्लभ हो। अनुच्छेद–21 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राण दैहिक स्वतन्त्रता का उल्लंघन है।

परिकल्पना

युग–युगान्तर से नारी के संघर्ष वृतांत की यात्रा अनवरत चल रही है। हजारों वर्षों से पराधीन रहने के कारण नारी को 'अन्तिम उपनिवेश' की संज्ञा दी गई है। महिला कैदियों के संदर्भ में यह बात चरितार्थ होती है।

कारावास में अधिकांश महिला कैदियों का सम्बन्ध पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से है तथा उनको संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद –21 जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का आधारस्तम्भ है का हनन हो रहा है।

उनमें अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरुकता का अभाव देखा जा सकता है। और उन्हें त्वरित विचारण में शिथिल प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ता है। अधिकांश महिला कैदी उचित समय पर विधिक सहायता से वंचित रहती है। इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं के साथ उनके अबोध बालक रहने को विवश है

उन बालकों के शारीरिक व मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

शोध पद्धति व अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन में प्रयुक्त तथ्य संकलन के स्रोत का विवरण अग्रानुसार है –

विषय–वस्तु से सम्बंधित तथ्य संकलन प्रविधि में प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतो का आवश्यकतानुसार उपयोग किया गया। प्राथमिक संकलन में साक्षात्कार जिसमें दोषमुक्त महिलाएँ एवं महिला कैदियों के साथ–साथ एवं जेल प्रशासन के सम्बन्धित कर्मचारीगण, चिकित्सक आदि सम्मिलित किया। साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं के परिवेश, अपराध के कारण एवं समस्या आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया वही जेल प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा संचालन व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया। साक्षात्कार के साथ–साथ अवलोकन प्रविधि के द्वारा कारागृह की व्यवस्था, वातावरण को जानने का प्रयास किया गया। आवश्यकतानुसार प्रश्नावली प्रविधि का भी प्रयोग तथ्य संकलन हेतु किया गया।

प्राथमिक स्रोत के साथ ही अध्ययन विषय वस्तु में शोध कार्य को विस्तार देने हेतु द्वितीयक स्रोत को भी साधन रूप में सम्मिलित किया गया। उदाहरणार्थ महिला कैदियों से सम्बंधित पुस्तके, समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख, विभिन्न समितियों, आयोगों द्वारा प्रकाशित लेख, राजस्थान जेल विभाग द्वारा उपलब्ध आंकडे, भारतीय कैदी सांख्यिकी द्वारा उपलब्ध आंकड़े, भारतीय संवैधानिक प्रावधान व न्यायिक निर्णय आदि।

शोध से प्राप्त परिणाम

मानवाधिकार वह अधिकार हैं जो मानव जीवन के लिए मौलिक हैं। मानवाधिकार दुनिया भर के सभी मनुष्यों के लिए कुछ दावों और स्वतंत्रताओं के अधिकार हैं। चरित्र में मौलिक और सार्वभौमिक होने के अलावा, इन अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय आयाम माना जाता है। किसी भी प्रकार के किसी भी भेद के बिना अधिकारों का सार्वभौमिकरण मानवाधिकारों की एक विशेषता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान करता है और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुछ अधिकारों की अनुमति देता है। इन अधिकारों, जिन्हें 'मौलिक अधिकार' कहा जाता है, भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत में कैदियों के संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में कैदियों के अधिकारों का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। किन्तु संविधान के भाग–3 में वर्णित मौलिक अधिकार कैदियों के लिए भी उपलब्ध है क्योंकि कैदी कारागृह में एक व्यक्ति के रूप में रहता है। अनुच्छेद 14,19,21 कैदियों के लिए भी उपलब्ध हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा।

संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है और इस तरह किसी भी व्यक्ति को किसी भी अमानवीय, क्रूर या अपमानजनक उपचार को प्रतिबंधित करता है चाहे वह राष्ट्रीय या विदेशी हो।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट भारतीय जेलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के जवाब में सक्रिय रहा है और इस प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 19, 21, 22, 32, 37 और 39-, की व्याख्या करके कैदियों के अधिकार को मान्यता मिली है। कैदियों को जेल के पीछे होने पर भी सामान्य मानव के रूप में कुछ हद तक अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार भारत के संविधान, जेल अधिनियम 1894 आदि के तहत प्रदान किए जाते हैं। कैदी भी एक व्यक्ति हैं और उनके पास कुछ अधिकार हैं और वे अपने मूल संवैधानिक अधिकारों को खो नहीं सकते हैं।

सुचित्रा बनाम चंडीगढ़ प्रशासन उक्त वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसी भी परिस्थिति में स्त्री की एकान्तता, गरिमा, शारीरिक सौष्ठव की रक्षा की जानी चाहिए। उक्त वाद का निर्णय महिला कैदियों के सन्दर्भ में भी महत्वपूर्ण है। वही अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार का आशय गरिमापूर्ण जीवन का सार प्रस्तुत करता है जो महिलाओं के लिए अनिवार्यतः उपबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जेलों में मां के साथ रहने वाले बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही उनके कल्याण, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। अदालत ने उनके लिए रहने, खाने, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा की भी व्यवस्था करने को कहा था। लेकिन हाल में मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश की विभिन्न जेलों के दौरे के दौरान पाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कहीं भी ठीक से पालन नहीं हो रहा है।

अदालत ने संरक्षण गृह में रहने वाले छह साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को सप्ताह में एक दिन जेल जाकर मां से मिलने का प्रावधान रखा है। लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता। इसके अलावा जेलों में तमाम इंतजाम पुरुष कैदियों के हाथों में होने की वजह से महिला कैदियों के साथ हर जगह दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। संगठन का कहना है कि अपने कानूनी व संवैधानिक अधिकारों से अवगत नहीं होने की वजह से ज्यादातर महिलाओं के सामने शारीरिक व मानसिक शोषण सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आवाज उठाने की स्थिति में उनके साथ और बुरा बर्ताव किया जाता है। भारतीय जेलों में बन्द अधिकांश महिला अशिक्षित है जो जमानत के बुनियादी प्रावधानों को भी नहीं जानती है।

वर्तमान स्थिति में इन सभी प्रावधानों के बावजूद सम्पूर्ण भारत में कैदियों की कुल संख्या का 4.3 प्रतिशत महिला कैदियों का है, जो विचारण में देरी, विधिक सहायता का अभाव, स्वच्छता का अभाव, पर्याप्त भोजन, शिक्षा आदि अभाव ग्रस्त परिस्थिति का दंश झेल रही है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार भारत में 1401 कारागृह में 18 ही महिला कारागृह है जिसमें 17834 महिलाएँ कैदी हैं।

एन.सी.आर.बी. 2015 के प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार 2015 में ही 51 महिला कैदियों की मृत्यु कारावास में अप्राकृतिक रूप से हुई जिसमें तीन महिला कैदियों द्वारा आत्महत्या की गयी थी। पुरूष अपराध की तुलना में महिला अपराध में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जिस कारण

महिला कैदियों की संख्या में भी तीव्रता आयी है। तिहाड जेल, बैसूला जेल (महाराष्ट्र) यू.पी. आदि जेल जिन्हे भारत के व्यवस्थित जेल की श्रेणी में रखा जाता है। वहां भी पुरूष कैदियों में परस्पर संघर्ष, हिंसा हत्या की खबरो का होना आम बात है। परन्तु महिला कैदियो के सन्दर्भ में भी हिंसा, क्रूरता, यौन–शोषण आदि रिपोर्ट का प्रकाशित होना इस विषय को ज्वलन्त मुद्दा बनाता है। जो स्वतः ही सामाजिक, विधिक, राजनैतिक आदि सभी परिप्रेक्ष्य में विचारणीय है। भारत के अन्य राज्यों में भी महिला कैदियों के विषय में अध्ययन कार्य किये गए है परन्तु दिनांक 20–7–2018 को टाइम्स ऑफ इण्डिया मे छपी खबर ने पुनः महिला कैदियों की स्थिति व सुरक्षा में प्रश्न चिह्न लगा दिया है, जिसमें महाराष्ट्र के बैसूला जेल में 78 महिला कैदियों को विषाक्त भोजन परोसा गया। अस्पताल में उन महिला कैदियों की प्रारम्भिक जाँच में विषाक्त भोजन के साथ–साथ उनके शरीर में अन्य गम्भीर संक्रमण भी पाए गए। इससे पूर्व महाराष्ट्र के ही एक जेल में महिला कैदी से सम्बंधित मंजूला सेठी हत्याकाण्ड हुआ है। जेल में बंद महिलाओं को कोई परेशानी न हो और उन्हें उनको संबंधित अधिकार मिल सकें यह सुनिश्चित करना हम सभी के लिए जरूरी है।

भारत में पुरुष व महिला कैदियों की संख्या

कैदी	संख्या	प्रतिशत
महिला कैदी	17834	04.3 प्रतिशत
पुरुष कैदी	401789	95.7 प्रतिशत

महिला कैदियों के संवैधानिक अधिकार

भारतीय संविधान के 'कैदी' राज्य सूची का विषय है जो अनुसूची 7 की प्रविष्ठि 4 में वर्णित है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा कैदियों से सम्बन्धित नियमावली (उमदनंस) बनाए जाते है। इन मेन्यूअल में वर्णित प्रावधानों महिलाओं कैदियों के सन्दर्भ में विशेष प्रावधान किए गए है –

महिलाओं कैदियों के अधिकार

महिला कैदियों के लिए पृथक व्यवस्था (जेल) भवन

राजस्थान कैदी मेन्युअल

1951 के अनुसार प्रत्येक जेल में महिला कैदियों के लिए अलग भवन या ब्लॉक होना चाहिए। जिसमें सजा याफ्ता एवं विचाराधीन महिला अलग–अलग रखी जानी चाहिए।

मुल्ला समिति – 1983 के अनुसार

जहाँ महिला कैदियों को सामान्य जेल में रखा जाता है वहां यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला कैदियों को दोहरी सुरक्षा में रखा जाए और पुरुष कैदियों की नजर में न आए।

परिवार जनों व रिश्तेदारों से मिलने का अधिकार

राजस्थान प्रिजनर्स मेन्युअल 1951 के अनुसार महिला कैदियों से मिलने के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। जिसमें पुरुष कैदियो ंका आना वर्जित हों।

पौष्टिक व पर्यापत भोजन का अधिकार

मॉर्डन प्रिजनर्स मेन्युअल 2003 के अनुसार प्रत्येक महिला कैदी को पौष्टिक एवं पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। विशेषकर उन महिला कैदी को जो गर्भवती है तथा स्तनपान कराती है। एक प्राधिकृत चिकित्सक यह सुनिशिचित करेगा कि भोजन स्वच्छ वातावरण में बन रहा है एवं पौष्टिक है अथवा नहीं। प्रत्येक 100 कैदियों पर पृथक रसोई घर की व्यवस्था होगी। प्रत्येक कैदी के लिए स्वच्छ पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। जिसकी जाँच समयानुसार की जाएगी।

चिकित्सा सुविधा का अधिकार

प्रिजनर्स अधिनियम 1894, राजस्थान प्रिजनर्स मेन्युअल 1951 के अनुसार कोई भी महिला कैदी को जेल में ले जाने से पूर्व उसका अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जांच आवश्यक है। यह जाँच महिला चिकित्सक द्वारा ही की जानी चाहिए। गर्भवती महिला कैदियों के लिए स्थानीय महिला अस्पताल ले जाने का प्रावधान है। प्रसव पूर्व व पश्चात् उचित देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।

मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा नशाखोरी में लिप्त या लैगिंक विकृति आदि से पीड़ित महिला कैदियों के लिए मनोचिकित्सक उपलब्ध कराया जाएगा तथा महिला कैदियों को सैनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराए जाएगे।

कपड़े एवं बिस्तर की सुविधा का अधिकार

महिला कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा कारावास की अवधि के दौरान आवश्यक कपड़े उपलब्ध कराए जाएगें। साथ ही 1 तकिया व दो चद्दर छः माह में उपलब्ध कराई जाएगी।

महिला कैदियों के बच्चों से सम्बन्धित अधिकार

प्रत्येक महिला कैदी को अपने छः वर्ष तक के बच्चों को अपने साथ रखने का अधिकार है। यदि उस महिला कैदी के पास अपने बच्चों का अन्यत्र रखने का विकल्प न हो। ऐसे नवजात शिशु जो कारावास के दौरान जन्म लेते है। वह 6 वर्ष तक अपनी माता के साथ जेल में रह सकते है।

Note

जिन बच्चों का जन्म कारावास की अवधि के दौरान जेल या जेल अस्पताल में होता है। उन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र स्थान में जेल नहीं लिखा जाता है।

विधिक सहायता का अधिकार

अपने पसन्द के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी संस्थाओं से सम्पर्क करने का अधिकार है। न्यायालय के आदेश एवं प्रक्रिया सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है तथा लिखित में अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं अनुशासन तथा दिनचर्चा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी है जो जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

व्यवसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) अधिकार

मॉर्डन प्रिजनर्स मेन्यूअल के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण का आधार बाजारोन्मुखी व लाभ प्राप्ति के लिए होना चाहिए। जिसका उपयोग महिला कैदियों को उनकी

रिहाई के पश्चात् स्वयं को समाज में स्थापित करने में किया जा सकें।
उच्चतम न्यायालय द्वारा महिला कैदियो के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए ''हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य (AIR 1980 sc 81) वाद में यह अधिनिर्धारित किया कि विचाराधीन महिला कैदी को त्वरित विचारण का अधिकार प्राप्त होना चाहिए''। त्वरित विचारण की अवधारणा हमारे मौलिक अधिकारों में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से सम्बन्धित अनुच्छेद 21 के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करती है।

निष्कर्ष

जेल में बंद महिला कैदियों की स्थिति बदहाल है। समय–समय पर उनके यौन शोषण की खबरें आती रहती हैं लेकिन केंद्र या किसी राज्य सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। सबसे बड़ी समस्या तो जगह की कमी की है। मुकदमों की बढ़ती तादाद की वजह से कई मामलों में बिना सुनवाई के ही महिला कैदियों को बरसों जेल में रखा जाता है। लगभग हर जेल में कैदियों की तादाद क्षमता से ज्यादा है। राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी एक रिपोर्ट में पहले ही इस पर गंभीर चिंता जता चुका है, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी ठंढे बस्ते में ही पड़ी है। लंबित मामलों की सुनवाई शीघ्र होने पर हजारों कैदियों को जेल से मुक्ति मिल सकती है। जेल में महिलाओं के यौन शोषण पर अंकुश लगाने के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। वहां महिला सुरक्षा कर्मचारियों की कमी से यह समस्या और गंभीर हुई है। इन महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं के बराबर हैं। जेल में बंद ज्यादातर महिलाओं को समाज और परिवार का समर्थन नहीं मिलता नतीजतन कई मामलों में सजा पूरी होने या जमानत मिलने के बावजूद ऐसी महिलाएं जेल से बाहर नहीं आ पातीं। जेलों में साफ–सफाई और स्नानघर जैसी सुविधाओं की भी भारी कमी है।

सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर विभिन्न योजनाएं चलाती हैं लेकिन ये सुविधाएं जेल में बंद महिलाओं को नहीं मिल पाती हैं। इससे उनमें मानसिक और शारीरिक रूप से नकारात्मक बदलाव आता है, जो उनके व्यवहार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है.स्थिति इतनी भय युक्त है कि उन्हें व उनसे मिलने आने वाले रिश्तेदारों एवं परिवार जनों को जेल प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा धमकाया जाता है। विशेषतः जेल प्रशासन के महिला कैदियों के प्रति नकारात्मक व्यवहार में सुधार की बहुत आवश्यकता है। एक कैदी भारतीय सविंधान द्वारा प्रदत्त वह सभी अधिकार रखता है जो एक स्वतंत्र व्यक्ति के लिए है। सिवाय उन अधिकारों के जो विधिक कैद में उसे प्रदान नहीं किये जा सकते। सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार जो कैदियों को प्राप्त है, वह है– ''जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21'' इसमें शामिल है, अपने परिवार, रिश्तेदार से मिलने का अधिकार। किन्तु इस में कोई स्पष्ट व निश्चित प्रावधान नहीं है। प्रायः वह कैदी जो सम्पर्क रखते है या, पैसा पहुंचाते है वह अपने परिवार आदि से मिलते समय किसी समय सीमा से बाध्य नहीं होते है, जिसका भुगतान अन्य कैदियों को करना पड़ता हैं।
दावे बहुत किए जाएं लेकिन हकीकत तो यही है कि न तो उन्हें या वहां रहने को मजबूर बच्चों को न तो उचित शिक्षा मिल पाती है और न ही कोई रोजगारपरक ट्रेंनिंग। जाहिर है, जेलों की पूरी व्यवस्था अपराधियों को सुधारने की नहीं नजर आती बल्कि उन्हें और अपराध की ओर मोड़ती नजर आती हैं। अगर जेल सुधार गृह की तरह कार्य करें, खासकर महिल कैदियों के लिए, तो वे महिलाएं दोबारा किसी तरह के अपराध में शामिल नहीं होंगी। जाहिर है, सजा का मतलब अपराधियों का सुधार होना चाहिए। .

सुझाव

महिला कैदियों की स्थिति को बेहतर बनाए हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते है–

1. जेल प्रशासन के महिला कैदियों के प्रति नकारात्मक व्यवहार के क्षेत्र में सुधार की बहुत आवश्यकता है।
2. महिला कैदियों के सम्बन्ध में कोई अलग से प्रावधान नहीं है, उन्हें उसी आधार पर ही सजा दी जाती है जो पुरुष अपराध में प्रस्तावित है। जबकि महिला अपराध के कारण पुरुष अपराध से भिन्न होते है। इस सम्बन्ध में आशा भण्डारी ने सुझाव दिया है कि यदि महिला से सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि अधिकारों का पालन किया जाए तो महिला अपराध में कमी आ सकती है। इसलिए महिला कैदियों से सम्बन्धित जेल प्रावधानों में सुधार किये जाने चाहिए।
3. जेल अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करें, कि महिला बंदी रिहाई के बाद प्रताडित न हों।
4. बंदी महिलाओं को मताधिकार की व्यवस्था हों।
5. जेल में बंद करने से पहले सेवा देखभाल जिम्मेदारी वाली महिलाओं को अपने बच्चों के प्रबंध करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
6. बंदियों की मानसिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम साप्ताहिक आधार पर बंदियों का संपर्क महिला काउंसिलरों और महिला मनोवैज्ञानिकों से हो सके।
7. जेल में शिकायत समाधान व्यवस्था अपर्याप्त है और इस व्यवस्था में दुरूपयोग और बदले की भावना से काम करने की गुंजाइश बनी हुई है। इस तरह एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली बनाने की आवश्याकता है।
8. उन विचाराधीन महिला कैदियों को जमानत दी जा सकती है जिन्होंने अधिकतम सजा का एक तिहाई समय जेल में बिताया है। ऐसा कानूनी प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 436 ए में आवश्यक परिवर्तन करके किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी करने पर रिहाई का प्रावधान है। इसके लिए त्वरित अदालतों का गठन किया जा सकता है।
9. प्रसव पश्चात के चरणों में महिलाओं की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए रिपोर्ट में माताओं

के लिए बच्चे को जन्म देने के बाद पृथक आवासीय व्यवस्था हों, ताकि साफ–सफाई का ध्यान रखा जा सके और नवजात शिशु को संक्रमण से बचाया जा सके ।

इन सुधारो की लागू किया जाए तो निश्चित ही संबन्धित व्यवस्थाओ को बेहतर बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

अडवाणी, निर्मला एच., ''परस्पेक्टिव ऑफ एडल्ट क्राइम एण्ड करेक्शन'', अभिनव पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1978.

आहूजा, राम, ''फिमेल ओफेन्डर्स इन इण्डिया'', मिनाक्षी प्रकाशन, इण्डिया, 1969.

आत्रे, जे.पी., ''क्राइम अगेन्स्ट वूमन'', विकास पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 1998.

ओझा, नन्दनी, ''व्हाइदर जस्टिस स्टोरीस ऑफ वूमेन इन प्रिजन'', रूपा पब्लिकेशन, इण्डिया, 2006.

कक्कड़, एस., ''द इनर वर्ल्ड : ए साइको एनालिटिक स्टडी ऑफ चाइल्डहुड एण्ड सोसायटी इन इण्डिया'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली 1981.

कटारिया, सुरेन्द्र, ''मानव अधिकार, सभ्य समाज एवं पुलिस'', आर.बी.एस.ए. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003.

कुल्हरी, सुमन, ''महिला एवं मानव अधिकार'', नेहा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 2010.

कौशिक, सुशीला, ''वूमेन ऑपरेशन : पैटर्न एण्ड परस्पेक्टिव'', शक्ति बुक्स, नई दिल्ली, 1985

गुप्त, कैलाशनाथ एवं शाह, सरिता, ''मानव अधिकार : संघर्ष, संदर्भ एवं निवारण'', अभिव्यक्ति प्रकाशन, दिल्ली 2012.

गिरजेश, कथपालिया, ''क्रिमिनलॉजी एण्ड प्रिजन रिफोर्म'', लेक्सिस नेक्सेस पब्लिकेशन, 2014.

चौधरी, सुनेत्रा, ''बिहाइन्ड बार्स : प्रिजन टेल्स ऑफ इण्डियाज़ मोस्ट फेमस'', रोली बुक पब्लिकेशन, 2017.

बेदी, किरण, ''इट इज़ आलवेज़ पॉसिबल वन वूमेन्स ट्रांसफोर्मेशन ऑफ इण्डिया प्रिजन सिस्टम'', हिमालयान इन्स्टीट्यूट प्रेस, 2007.

भरूचा, एन. रूजबे व बेदी, किरण, ''सलाखों की परछाइया'', हिमालयान इन्स्टीट्यूट प्रेस, 1995.

लक्ष्मीकांत, एम., ''भारत की राजव्यवस्था'', एम.सी. ग्रो एजुकेशन प्रा.लि. 2017.

शर्मा, मंजु, ''नारी शोषण एवं मानवाधिकार'', राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2008.

शास्त्री, उर्मिला, ''माइ डेज इन प्रिजन'', हार्पर वेन्टेज पब्लिशिंग हाउस, 2012.

सहगल, नयनतारा, ''कैद के दिन'', (संपादन), स्पिकिंग टाइगर पब्लिशर बुक, 2018

सुवर्णा, चेरूकुरी, ''वूमेन इन प्रिजन'', कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, इण्डिया प्रा.लि. 2007.

हाशमी, नाड़िया, 'ए हाउस विदाउट विण्डो'', विलियम मोरा, 2016